राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2015/4972-82 जयपुर,दिनांक 22/4/15

जिला कलेक्टर, (सहायता)
बाड़मेर (राज0)।

विषयः– अभाव संवत् 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु पशु शिविरों के संचालन की स्वीकृति एवं दिशा–निर्देश।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 471 दिनांक 19.04.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1 (1) (4) आ.प्र.सआ/सामान्य / 2014/ 10908–44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव सम्वत 2071 के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वीकृत पशु शिविर जिनकी अवधि राज्य आपदा मोचन निधि में अनुमत 90 दिवस पूर्ण कर ली गई है, उन पशुशिविरों के पशुओं हेतु 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात एवं दिशा निर्देशों की पालना मय आपकी टिप्पणी दिनांक **19.4.2015** के आधार पर दी जा रही है। इसमें किसी तरह की अनियमितता एवं लापरवाही सामने आने पर दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु **जारी दिनांक से 30 दिवस तक** पशु शिविरों के खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है :–

क्र. सं.		ग्राम पंचायत का नाम	पशु शिविर स्थल का नाम	प्रस्तावित पशु संख्या योग	संचालक संस्था का नाम (ग्रा. पं.)
1	रामसर	रामसर	रामसर	200	ग्राम पंचायत रामसर
2	रामसर	रामसर	वाटर वॉक्स के पास सुथार,सिंगरपाल, खावड़िया,खत्री रेलवे कॉलोनी जाडेजो की बस्ती	200	ग्राम पंचायत रामसर
3	रामसर	रामसर	स्कूल के पास सिगरपालों की ढाणी	130	ग्राम पंचायत रामसर
4	रामसर	रामसर	गवाई नाडी सोलकी, मेग. ,कुभांर, लोहार, महाजन,जाट,नाईयों का वास	200	ग्राम पंचायत रामसर
5	रामसर	रामसर	गवाई नाडी,गडराई एवं	200	ग्राम पंचायत

			सताजी मेगवालों का पाड़ा		रामसर
6	रामसर	रामसर	हैण्डपम्प के पास राजपूत एवं राणा राजपूतों का वास	200	ग्राम पंचायत रामसर
7	रामसर	रामसर	गवाई नाडी पुरोहितों का वास,दर्जियों का पाड़ा	200	ग्राम पंचायत रामसर
8	रामसर	बबुगुलेरिया	बबुगुलेरिया	200	ग्राम पंचायत बबुगुलेरिया
9	रामसर	बबुगुलेरिया	सामुदायिक सभा भवन के पास,बनवा	150	ग्राम पंचायत बबुगुलेरिया
10	रामसर	बबुगुलेरिया	रा.प्रा.वि.गोराणियों की ढ़ाणी रामसर आगोर	200	ग्राम पंचायत बबुगुलेरिया
11	रामसर	बबुगुलेरिया	रा.प्रा.वि.खारची के पास	200	ग्राम पंचायत बबुगुलेरिया
12	रामसर	बबुगुलेरिया	रा.प्रा.वि.नोपाटिया के पास	120	ग्राम पंचायत बबुगुलेरिया
13	रामसर	बबुगुलेरिया	अखणियों की ढ़ाणी बेरी के पास,बबुगुलेरिया	200	ग्राम पंचायत बबुगुलेरिया
14	रामसर	भाचभर	भाचभर	200	ग्राम पंचायत भाचभर
15	रामसर	भाचभर	लीलनगर	100	ग्राम पंचायत भाचभर
16	रामसर	भाचभर	बगते की बेरी,भाचभर रेलवे स्टेशन	200	ग्राम पंचायत भाचभर
17	रामसर	भाचभर	सियागों की ढ़ाणी,बगते की बेरी	150	ग्राम पंचायत भाचभर
18	रामसर	भाचभर	मुसलमानों का पाड़ा,सुवाड़ा	200	ग्राम पंचायत भाचभर
19	रामसर	भाचभर	लेसुवा	200	ग्राम पंचायत भाचभर
20	रामसर	भाचभर	मेगवालों की बस्ती,सुवाड़ा	200	ग्राम पंचायत भाचभर
21	रामसर	भाचभर	भाचभर II	200	ग्राम पंचायत भाचभर
22	रामसर	हाथमा	हाथमा	200	ग्राम पंचायत हाथमा
23	रामसर	हाथमा	अजबपुरा	200	ग्राम पंचायत हाथमा
24	रामसर	खारा राठोडान	कोटड़िया तला	200	ग्राम पंचायत खारा राठोडान
25	रामसर	खारा राठोडान	मिठड़िया तला	200	ग्राम पंचायत खारा राठोडान
26	रामसर	सियाणी	सियाणी	200	ग्राम पंचायत सियाणी
27	रामसर	सियाणी	बामणियों का	182	ग्राम पंचायत

			पाड़ा,सियाणी ।।		सियाणी
28	रामसर	हाथमा	आंटा स्कूल के पास,आंटा	200	ग्राम पंचायत हाथमा
29	रामसर	सियाणी	भंवरलाई स्कूल के पास,भंवरलाई	150	ग्राम पंचायत सियाणी
30	रामसर	सियाणी	चौथिया	100	ग्राम पंचायत सियाणी
31	रामसर	सियाणी	खेजड़ियाली नाडी	150	ग्राम पंचायत सियाणी
32	रामसर	सियाणी	बामणियावास	100	ग्राम पंचायत सियाणी
33	रामसर	सियाणी	लाभराऊ स्कूल के पास,लाभराऊ	150	ग्राम पंचायत सियाणी
34	रामसर	हाथमा	मोहम्मद की ढ़ाणी ,आंटा	100	ग्राम पंचायत हाथमा
35	रामसर	इन्द्रोई	इन्द्रोई	200	ग्राम पंचायत इन्द्रोई
36	रामसर	इन्द्रोई	जायडू गांव तलिया	200	ग्राम पंचायत इन्द्रोई
37	रामसर	इन्द्रोई	भदरू पानी होदी के पास	200	ग्राम पंचायत इन्द्रोई
38	रामसर	इन्द्रोई	कानपुरा स्कूल के पास	200	ग्राम पंचायत इन्द्रोई
39	रामसर	इन्द्रोई	बसरा गांव तलिया	200	ग्राम पंचायत इन्द्रोई
40	रामसर	खड़ीन	खड़ीन	200	ग्राम पंचायत खड़ीन
41	रामसर	खड़ीन	सोढ़ो की बस्ती	150	ग्राम पंचायत खड़ीन
42	रामसर	खड़ीन	जाखड़ों का तला,फरसाणियों की ढ़ाणी	200	ग्राम पंचायत खड़ीन
43	रामसर	खड़ीन	डउकियों की ढाणी	200	ग्राम पंचायत खड़ीन
44	रामसर	खड़ीन	जूना लाभू का तला	200	ग्राम पंचायत खड़ीन
45	रामसर	खड़ीन	गांधीनगर,शैरपुरा	200	ग्राम पंचायत खड़ीन
46	रामसर	खड़ीन	रामदेरिया तला व गैनाणियों की ढ़ाणी	200	ग्राम पंचायत खड़ीन
47	रामसर	खड़ीन	खारिया बांकलसर,पीरावास व देराज नगर	200	ग्राम पंचायत खड़ीन
48	रामसर	खड़ीन	रामाणियों का तला	150	ग्राम पंचायत खड़ीन
49	रामसर	खड़ीन	सियागों की ढ़ाणी ,हेमावास	150	ग्राम पंचायत खड़ीन

50	रामसर	खड़ीन	सगराणियों की होदी,इन्द्रावास	200	ग्राम पंचायत खड़ीन
51	रामसर	खड़ीन	जान्दुओं की ढ़ाणी,राजीव नगर	187	ग्राम पंचायत खड़ीन
52	रामसर	गंगाला	गंगाला	150	ग्राम पंचायत गंगाला
53	रामसर	चाडार मदरूप	चाडार मदरूप	200	ग्राम पंचायत चाडार मदरूप
54	रामसर	पांधी का पार	रा.प्रा.वि.पाबुदानसिंह की ढ़ाणी	200	ग्राम पंचायत पांधी का पार
55	रामसर	चाडार मदरूप	चाडार बांकलसर होद के पास	200	ग्राम पंचायत चाडार मदरूप
56	रामसर	चाडार मदरूप	सलारिया कलारिया	100	ग्राम पंचायत चाडार मदरूप
57	रामसर	चाडार मदरूप	शेरे का तला,स्कूल के पास	100	ग्राम पंचायत चाडार मदरूप
58	रामसर	चाडार मदरूप	रामदेव मन्दिर	200	ग्राम पंचायत चाडार मदरूप
59	रामसर	चाडार मदरूप	हिन्दुआणियों की नाडी के पास	200	ग्राम पंचायत चाडार मदरूप
60	रामसर	चाडी	चाडी	200	ग्राम पंचायत चाडी
61	रामसर	चाडी	गिड़लिया तला	200	ग्राम पंचायत चाडी
62	रामसर	खारिया राठोडान	सुभाष नगर	200	ग्राम पंचायत खारिया राठोडान
63	रामसर	चाडी	रोड़ी नाडी	200	ग्राम पंचायत चाडी
64	रामसर	चाडी	अभाणियों का तला,चैनपुरा	200	ग्राम पंचायत चाडी
65	रामसर	चाडी	पुनियों का तला	150	ग्राम पंचायत चाडी
66	रामसर	चाडी	धनौड़ा तला होदी,धनौड़ा	200	ग्राम पंचायत चाडी
67	रामसर	खारिया राठौड़ान	खारिया राठौड़ान	200	ग्राम पंचायत खारिया राठौड़ान
68	रामसर	सेतराऊ	सेतराऊ	200	ग्राम पंचायत सेतराऊ
69	रामसर	सेतराऊ	खारिया कला	100	ग्राम पंचायत सेतराऊ
70	रामसर	तामलियार	तामलियार कुआ न.3 के पास	200	ग्राम पंचायत तामलियार
71	रामसर	तामलियार	हाजी फतेह खां का कुआ	100	ग्राम पंचायत तामलियार
72	रामसर	तामलियार	हाजी तैयब का तला,	200	ग्राम पंचायत

			गुरूओं का गोलिया		तामलियार
73	रामसर	सेतराऊ	जगमाल का तला	200	ग्राम पंचायत सेतराऊ
74	रामसर	तामलियार	हाजी दान का तला	150	ग्राम पंचायत तामलियार
75	रामसर	तामलियार	मास्टर अकलू का कुआ,तामलियार	180	ग्राम पंचायत तामलियार
76	रामसर	सेतराऊ	खारिया कीता	200	ग्राम पंचायत सेतराऊ
77	रामसर	सेतराऊ	अनाणी धतरवालों की ढ़ाणी	200	ग्राम पंचायत सेतराऊ
78	रामसर	तामलियार	तामलियार कुआ न. 1	180	ग्राम पंचायत तामलियार
79	रामसर	कटंल का पार	कटंल का पार	200	ग्राम पंचायत कटंल का पार
80	रामसर	कटंल का पार	नोहड़ी आंगनवाड़ी के पास,कटंल का पार	200	ग्राम पंचायत कटंल का पार
81	रामसर	कटंल का पार	आर्युवेद अस्पताल के पास,वीरमीयार	200	ग्राम पंचायत कटंल का पार
82	रामसर	कटंल का पार	सभा भवन के पास हाथियाणियों का पास,नई सियाई	200	ग्राम पंचायत कटंल का पार
83	रामसर	कटंल का पार	सुजावल का पार	100	ग्राम पंचायत कटंल का पार
84	रामसर	कटंल का पार	अछिया खड़ीन स्कूल के पास	200	ग्राम पंचायत कटंल का पार
85	रामसर	कटंल का पार	पाबुसरिया	200	ग्राम पंचायत कटंल का पार
86	रामसर	पांधी का पार	पांधी का पार	200	ग्राम पंचायत पांधी का पार
87	रामसर	सुराली	जादमाणियों की ढ़ाणी,हिण्डीया	200	ग्राम पंचायत सुराली
88	रामसर	पांधी का पार	सार्व. होद के पास,रावत का तला	200	ग्राम पंचायत पांधी का पार
89	रामसर	पांधी का पार	होद के पास,पांधी का पार	200	ग्राम पंचायत पांधी का पार
90	रामसर	पांधी का पार	सार्व. नाडी के पास डबे का पार, हुसैन की ढ़ाणी	200	ग्राम पंचायत पांधी का पार
91	रामसर	सुराली	सार्व. टांका नाडी के पास सुराली	200	ग्राम पंचायत सुराली
92	रामसर	सुराली	सार्व. होदी के पास,जालीला	200	ग्राम पंचायत सुराली
93	रामसर	पांधी का	अलारख का वास	100	ग्राम पंचायत

		पार			पांधी का पार
94	रामसर	गागरिया	गागरिया	150	ग्राम पंचायत गागरिया
95	रामसर	गागरिया	अजबे का पार	200	ग्राम पंचायत गागरिया
96	रामसर	गागरिया	आजादपुरा	200	ग्राम पंचायत गागरिया
97	रामसर	अभे का पार	सोढ़ाई	125	ग्राम पंचायत अभे का पार
98	रामसर	गागरिया	मदरूप का पार	100	ग्राम पंचायत गागरिया
99	रामसर	अभे का पार	बेरियों के पास,गंगाणियों का पार	150	ग्राम पंचायत अभे का पार
100	रामसर	अभे का पार	चाड़वा उर्फ झाड़वा के पास	150	ग्राम पंचायत अभे का पार
101	रामसर	अभे का पार	रा.प्रा.वि.विरद का पार	150	ग्राम पंचायत अभे का पार
102	रामसर	अभे का पार	नीलसर सार्व. होद के पास	100	ग्राम पंचायत अभे का पार
103	रामसर	अभे का पार	अभे का पार	200	ग्राम पंचायत अभे का पार
104	रामसर	गागरिया	गागरिया गांव	150	ग्राम पंचायत गागरिया
105	रामसर	गागरिया	सियाई	200	ग्राम पंचायत गागरिया
106	रामसर	गागरिया	कंटलिया	150	ग्राम पंचायत गागरिया
107	रामसर	गागरिया	भीलों का पार	100	ग्राम पंचायत गागरिया
108	रामसर	गरड़िया	गरड़िया	200	ग्राम पंचायत गरड़िया
109	रामसर	भीण्डे का पार	भीण्डे का पार	200	ग्राम पंचायत भीण्डे का पार
110	रामसर	भीण्डे का पार	भीलों की बस्ती,मेकरनवाला	100	ग्राम पंचायत भीण्डे का पार
111	रामसर	सजन का पार	मुरादाणियों की ढ़ाणी राठौड़ों का तला	100	ग्राम पंचायत सजन का पार
112	रामसर	भीण्डे का पार	सोबदार की बस्ती	100	ग्राम पंचायत भीण्डे का पार
113	रामसर	बूठिया	बूठिया	200	ग्राम पंचायत बूठिया
114	रामसर	पादरिया	अलारखपुरा	100	ग्राम पंचायत पादरिया
115	रामसर	बूठिया	रा.उ.प्रा.वि.अजबानी	200	ग्राम पंचायत बूठिया

116	रामसर	बूठिया	रा.उ.प्रा.वि.सगरानी	200	ग्राम पंचायत बूठिया
117	रामसर	बूठिया	रा.प्रा.वि.झैलून	200	ग्राम पंचायत बूठिया
118	रामसर	बूठिया	पी.एच.ई.डी. होद के पास बूठिया	100	ग्राम पंचायत बूठिया
119	रामसर	पादरिया	चाड़वा तख्तावाद	200	ग्राम पंचायत पादरिया
120	रामसर	पादरिया	बांगली	150	ग्राम पंचायत पादरिया
121	रामसर	पादरिया	जुम्मा फकीर की बस्ती	100	ग्राम पंचायत पादरिया
122	रामसर	पादरिया	बिन्दुसियाणी	200	ग्राम पंचायत पादरिया
123	रामसर	इन्द्रोई	जायडू हुडों की स्कूल के पास	200	ग्राम पंचायत इन्द्रोई
124	गडरारोड	बाण्डासर	तिरमोही	100	बाण्डासर
125	गडरारोड	तामलोर	पनेला प्रथम	200	तामलोर
126	गडरारोड	तामलोर	अभी का पार	100	तामलोर
127	गडरारोड	खानियानी	धामड़ली	100	खानियानी
128	गडरारोड	चेतरोड़ी	बाहला प्रथम	100	चेतरोड़ी
129	गडरारोड	चेतरोड़ी	उंगेरी	200	चेतरोड़ी
130	गडरारोड	चेतरोड़ी	साधों की बस्ती	200	चेतरोड़ी
131	गडरारोड	चेतरोड़ी	रोहिडाला राठौड़ान	200	चेतरोड़ी
132	गडरारोड	रावतसर	सालमसिंह की बस्ती प्रथम	200	रावतसर
133	गडरारोड	रावतसर	भाखरपुरा	200	रावतसर
134	गडरारोड	खलीफे की बावड़ी	खलीफे की बावड़ी	200	खलीफे की बावड़ी
135	गडरारोड	खलीफे की बावड़ी	पाबुसरी प्रथम	200	खलीफे की बावड़ी
136	गडरारोड	खलीफे की बावड़ी	बनियाली	100	खलीफे की बावड़ी
137	गडरारोड	बीजावल	बीजावल प्रथम	200	बीजावल
138	गडरारोड	बीजावल	मालणसर	150	बीजावल
139	गडरारोड	बीजावल	चनणिया	200	बीजावल
140	गडरारोड	बीजावल	समंद का पार	200	बीजावल
141	गडरारोड	बीजावल	मठारानी मेगवाल	150	बीजावल
142	गडरारोड	खबडाला	खबडाला प्रथम	200	खबडाला
143	गडरारोड	खबडाला	खबडाला द्वितीय	200	खबडाला
144	गडरारोड	बन्धड़ा	पीपरली	100	बन्धड़ा
145	गडरारोड	रोहिड़ी	रिखीयानी	150	रोहिड़ी
146	गडरारोड	रोहिड़ी	पदमड़ा	150	रोहिड़ी

147	गडरारोड	सून्दरा	शहदाद का पार खुर्द	150	सून्दरा
148	गडरारोड	जैसिन्धर गांव	मालाणा	200	जैसिन्धर गांव
149	गडरारोड	जैसिन्धर गांव	जैसिन्धर गांव I	200	जैसिन्धर गांव
150	गडरारोड	जैसिन्धर गांव	जैसिन्धर गांव II	200	जैसिन्धर गांव
151	गडरारोड	जैसिन्धर गांव	बरसा	100	जैसिन्धर गांव
152	गडरारोड	खारची	खारची I	200	खारची
153	गडरारोड	झणकली	करनीनगर	200	झणकली
154	गडरारोड	राणासर	अम्बेडकर नगर	100	राणासर
155	गडरारोड	खुडाणी	खुडाणी प्रथम	200	खुडाणी
156	गडरारोड	राणासर	ताजीयों का पाड़ा	200	राणासर
157	गडरारोड	राणासर	देताणी	200	राणासर
158	गडरारोड	राणासर	राणासर	200	राणासर
159	गडरारोड	फोगेरा	फोगेरा आगोर	100	फोगेरा
160	गडरारोड	रेडाणा	पाबुसरा	100	रेडाणा
161	गडरारोड	रेडाणा	देवपुरा	100	रेडाणा
162	गडरारोड	रेडाणा	उतरी डेर I	200	रेडाणा
163	गडरारोड	ताणू मानजी	ताणू मानजी I	200	ताणू मानजी
164	गडरारोड	ताणू मानजी	ताणू रावजी	150	ताणू मानजी
165	गडरारोड	गिराब	गंगापुरा	100	गिराब
166	गडरारोड	गिराब	मणियारी	100	गिराब
167	गडरारोड	रतरेड़ी कला	रतरेड़ी खुर्द	150	रतरेड़ी कला
168	गडरारोड	आसाड़ी	आसाड़ी	200	आसाड़ी
169	गडरारोड	रोहिड़ी	रोहिड़ी I	200	रोहिड़ी
170	गडरारोड	रोहिड़ी	सगोरालिया	200	रोहिड़ी
171	गडरारोड	जैसिन्धर स्टेशन	पादरिया	100	जैसिन्धर स्टेशन
			योग	29354	

विभागीय पत्र क्रमांक 4180–203 दिनांक 06.04.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पशु शिविर संचालन करने की कार्यवाही करें:–

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 32–3/ 2013–NDM-I दिनांक 28.11.2013 के संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डो के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।

3. गत वर्षो में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालको के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते है एवं सुबह –शाम पशुओं को लेकर जाते है। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

(i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।

(ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।

(iii) यदि पशुपालको द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।

(iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/– रूपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/–रूपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु–आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50/– रू. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।

(vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।

(vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।

(viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।

4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाएः–

(i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
(ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
(iii) स्थान का नाम जहॉ शिविर चलाया जाएगा।
(iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
(v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
(vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
(vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
(viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
(ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
(x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम
(xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
(xii) संस्था के प्रबन्धक/ अध्यक्ष एवं सचिव का नाम

(xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं

(xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।

6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।

7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएं।:–

   क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर

   ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर

   ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर

   घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही

8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।

9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय–समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।

10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं .पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।

11. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।

12. किसी भी संचालक संस्था, जिसके माध्यम से पशु शिविर संचालित किये जा रहे है, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव स्वीकृत करें।

13. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाऐं जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंषा जिला कलेक्टर को करें तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर की अनुशंषा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत प्रस्ताव इन कार्यालय को प्रेषित करें।

14. जिला कलेक्टर सम्बन्धित पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।

15. स्वीकृत पशु शिविरों का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

16. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पशु शिविरों के संचालन के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ–पत्र लिया जाये। (संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)

17. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित किये जाने वाले पशु शिविरों हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक–पृथक पत्रावलियां खोली जाऐगी एवं इससे सम्बन्धित अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते हुए पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेंगे।

18. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाले पशु शिविरों पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नॉर्म्स के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्वत 2071 में खरीफ फसल खराबे के समय किया गया है। परन्तु उसस सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा एवं ऑनलाईन बजट मांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु मांग होने का उल्लेख किया जाये।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

21/4/15

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन विभाग एवं प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ,जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।

शासन संयुक्त सचिव